RESEARCH HUB – International Multidisciplinary Research Journal (RHIMRJ)
Research Paper

भारत में चुनाव और भ्रष्टाचार की राजनीति

डॉ० सुनील राम

पूर्व शोधार्थी, इतिहास विभाग महाराजा कॉलेज, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा (भोजपुर), बिहार – 802301

सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार को मिटाकर राजनीतिक व्यवस्था को अपराधीकरण से कैसे बचाया जा सकता है? न्यायपालिका, पुलिस तथा सी.बी.आई. में सुधार, निःसंदेश आपराधिक न्याय व्यवस्था को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देंगे, लेकिन इससे समस्या का संपूर्ण हल नहीं निकलता। उदाहरण के लिए सी.बी.आई. अगर आज वह नहीं है जो पहले थी, तो इसका कारण यह भी है कि राजनैतिक स्तर पर शासन के स्तर में लगातार गिरावट आई है। तब जरूरी इच्छा शक्ति युक्त ऐसा राजनीतिक नेतृत्व था जिसने उच्च प्रतिष्ठा व साख वाली जाँच एजेंसी के रूप में सी.बी.आई. का गठन किया था। लेकिन एक ऐसा वक्त भी आया जब महत्त्वपूर्ण मामालें की जाँच में सी.बी.आई. को शीर्ष राजनैतिक सत्ताधीशों के नियंत्रण से बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा। यह गिरावट कब और कैसी आई, इसकी चर्चा 1947 में महात्मा गाँधी ने राजनीतिकों, प्रसासनिकों तथा देश के प्रत्येक नागरिक से देश को भिन्न नेतृत्व देने की उम्मीद करते हुए एलान किया था, अगर लोगों के साथ अन्याय होता है तो वे संबंधित मंत्री के कान पकड़ सकते है; और उसे हटा सकते हैं। हमें अब ऐसी ही शक्ति करनी चाहिए। मंत्री लोगों पर शासन करने के लिए नहीं हैं, बल्कि उनकी सेवा के लिए है। 27 जुलाई 1947 तब भी उन्होंने एक ऐसे नए भारत की उम्मीद नहीं छोड़ी थी जो खुशहाल, शांतिमय और संपन्न देश होगा। उस दिन प्रोफेसर बालाजी देसाई को पूणे में लिखे पत्र में उन्होंने कहा था, ''यदि ईश्वर को मेरी सेवाओं की जरूरत है तो वह मुझे 125 नहीं, 150 साल तक जिंदा रखेगा और उसे मेरी आवश्यकता नहीं है तो वह मुझे आज भी उठा सकता है : व्यक्ति को वैसे ही रहना चाहिए जैसे राम रखें। लेकिन 30 जनवरी 1948 को क्रूर हाथों द्वारा उनकी हत्या कर दी गई और एक नए भारत यानी 'राम राज्य' का उनका सपना अधूरा रह गया। हमें मालूम है कि उसके बाद कैसे राजनीति व राजनीतिक जीवन का पतन होता गया।

रामकृष्ण मिशन, हैदराबाद के स्वामी रामानंद उड़ीसा के कटक में रोटरी क्लब के सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा था कि भारत में हमारे सामने न तो खाद्य संकट है, न बिजली संकट और न ही आर्थिक संकट है। सिर्फ एक संकट यह है वह है– चरित्र का संकट। कई वर्षो बाद 16 मई 1998 को 'टुवार्ड्स गुड गवरनेंस' विषय पर नई दिल्ली के वोटर्स फोरम फाउंडेशन ऑफ इंडिया की ओर से आयोजित एक सेमिनार के उद्घाटन के अवसर पर स्वामी ने कहा– आज भारत को तत्काल एक पुनरुद्धार प्रक्रिया शुरू करने की जरूरत है ताकि शक्ति का इस्तेमाल लोगों के कल्याण के लिए किया जा सके। यह तभी हो सकता है, जब आध्यात्मिक विकास के माध्यम से प्रतिभा को निखरने का मौका दिया जाए। भागवत गीता 'राजर्षी' (ऐसा व्यक्ति जो अपने भीतर आध्यात्मिकता व शक्ति को एक बार कर लेता है) की अवधारणा का जिक्र करते हुए स्वामीजी ने कहा[3]–

'एक कलक्टर, एक क्लर्क, एक पुलिस कांस्टेबल, एक स्कूल टीचर और सामाजिक कामकाज से जुड़े हर क्षेत्र के व्यक्ति के पास थोड़ी शक्ति होती है। जरा सी भी आध्यात्मिक शक्ति से वे अपनी शक्ति का इस्तेमाल लोगों की बेहतर सेवा के लिए करेंगे। 'राजा' व ऋषि के मिलने से बननेवाले शब्द का मतलब यही होता है।

उन्होंने कहा कि सारे भ्रष्टाचार हमारे चेतन मूल्यों में गिरावट से आते हैं और पिछले 50 वर्षों में इसमें काफी गिरावट आई है। उन्होंने कहा कि 1947 में लोगों का नजरिया अलग था और सुझाव देते हुए कहा कि आधुनिक शिक्षा प्रणाली में आध्यात्मिक को शामिल करके पुराने मूल्यों को अभी भी, फिर से हासिल किया जा सकता है। बशर्ते इसमें धर्म विशेष को न जोड़ा जाए। उनके अनुसार, जिनके पास सत्ता है, जो शासन चलाते हैं उन्हें जनता का अच्छा दोस्त बनना चाहिए। जैसे गीता में कर्म–प्रधान दर्शन की बात है वैसे उसका संबंध काम में लगे मनुष्य से है। स्वामी जी ने लोगों से त्याग व सेवा के गुणों को पूरी तरह आत्मसात कर लेने की जोश पूर्ण अपील की। स्वामी विवेकानंद के अनुसार ये भारत के राष्ट्रीय आदर्श है।

ये सब दीर्घकालीन उपाय है। हालांकि देश को बीमार बनाने वाले कारणों का अंतिम जवाब भी यही है। लेकिन हमें जरूरत है तात्कालिक उपायों की। राजनीति में आध्यात्मिक व उच्च मूल्यों का समावेश करने के अलावा हमें महात्मा गांधी जैसे महान व्यक्ति की जरूरत है। स्पष्ट रूप से चारों ओर कोई भी नहीं है और न ही भविष्य में कोई संभावना दिखाई देती है कि हममें से कोई उन जैसा हो सके। महात्मा गांधी के 70वें जन्मदिन पर अपने विचार रखते हुए अल्बर्ट आंइस्टीन ने कहा था कि आनेवाली पीढ़ी मुश्किल से यही यह विश्वास करेगी कि हाड़–मांस का कोई पुतला इस धरती पर चला होगा। आनेवाली पीढ़ियों

2016, RHIMRJ, All Rights Reserved

की क्या बात करें, मौजूदा पीढ़ी के लिए जिन लोगों ने महात्मा गांधी को जीता–जागता चलता देखा है उनके लिए भी यह विश्वास कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। सच तो यह है कि हमारे पास नेहरू, सरदार पटेल और जयप्रकाश नारायण, बाबा साहेब डॉ० भीमराव अम्बेडकर जैसे लोग भी नजर नहीं आ रहे हैं जो जनता को प्रेरित कर सकें।

तो हम क्या करें? और कहाँ जाएं? हमारे यहां की जनता में कोई खराबी नहीं है सच तो यह है कि इनमें साधारण लोग जैसे किसान, दुकानदार, फैक्ट्री मजदूर, गांवों व शहरों में रहने वाले लोग, प्रबुद्ध मध्यवर्ग जिसका भ्रष्ट व्यवस्था में निहित स्वार्थ नहीं है, जैसे लोग ही है जिनकी वजह से दुनिया का यह सबसे विशाल लोकतंत्र चल रहा है। उनके लिए सार्वजनिक जीवन में सत्यनिष्ठा व ईमानदारी का मूल्य अब भी है और उन्होंने दो बार स्पष्ट रूप से इसे जता भी दिया है। पहली बार 1977 में जब जनता ने एकदलीय प्रवृत्तियों को ठुकरा दिया था और फिर दूसरी बार 1989 के चुनावों में जब लोग वी.पी. सिंह को ले जाए थे। आप जानते हैं कि उन्होंने उच्च पदों पर भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष की अगुआई की थी। इसलिए, समस्या का हल संस्थागत व्यवस्थाओं तथा मजबूत कानूनी प्रणाली में मौजूद है। स्वस्थ न्यायपालिका के साथ–साथ सी.बी.आई. जैसी निष्पक्ष व दक्ष जांच एजेंसियों के अलावा हमारे पास सख्त कानून होने चाहिए ताकि पहचाने हुए भ्रष्ट और अपराधियों को संसद, विधानसभाओं तथा ऊंचे पदों पर पहुंचने से रोका जा सके। हमें चुनाव सुधारों के जरिए अपनी चुनावी प्रक्रिया को धन बल व बाहुबल से भी मुक्त करना चाहिए। अगस्त, 1997 में संसद के एक विशेष अधिवेशन में लोकसभा ने एकमत होकर यह प्रस्ताव मंजूर किया था कि सभी पार्टियाँ तत्काल चुनाव सुधारों के प्रति वचनबद्ध है। प्रस्ताव में कहा गया था कि :

सार्थक चुनाव सुधार किये जाने चाहिए ताकि हमारी संसद व दूसरे विधायी निकायी लोकतंत्र व प्रभावशाली अस्त्र बन सकें तथा राजनीतिक जीवन व प्रक्रिया प्रतिकूल प्रभाव व शासन के अवांछित बाहरी तत्त्वों के प्रभाव से मुक्त हो। इनमें अपराधीकरण भी शामिल है।[5]

प्रस्ताव में सार्वजनिक जीवन में और ज्यादा पारदर्शिता, ईमानदारी व विश्वसनीयता लाने की कोशिशें शुरू करने व अभियान चलाने की बात कही गई है। पार्टियों ने यह वचनबद्धता भी जाहिर की कि वे राजनीति को अपराधीकरण से मुक्त कराने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएंगी। हालांकि, 1998 में शुरू में हुए लोकसभा चुनावों में क्या हुआ? सारे राजनैतिक दलों ने भ्रष्ट व आपराधिक तत्वों को टिकट दिए। फिर केंद्र में भाजपा नेतृत्व वाले गठबंधन की सरकार बनाने के बाद गोस्वामी कमेटी की सिफारिशों के आधार पर दलबदल, भ्रष्टाचार राजनीतिक के अपराधीकरण और चुनावी गड़बड़ियों को रोकने के लिए चुनाव सुधार शुरू करने की प्रतिबद्धता जाहिर की। भाजपा गठबंधन की सरकार ने चुनाव सुधार को अपने राष्ट्रीय एजेंडे में रखा था। सरकार ने राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का गठन करने तथा प्रधानमंत्री सहित किसी भी व्यक्ति के खिलाफ भ्रष्टाचार से निपटने के लिए पर्याप्त शक्तियों वाला नया लोकपाल विधेयक लाने की वचनबद्धता भी व्यक्त की।

प्रस्तावित अधिनियम में प्रत्येक संसद सदस्य के लिए यह भी अनिवार्य कर दिया गया है कि वह अपना पद संभालने के 90 दिन के भीतर अपनी संपत्ति और अपनी अथवा अपने परिवार के उत्तरदायित्वों का ब्यौरा पेश करें। यदि कोई संसद सदस्य ऐसा नहीं करता है तो लोकपाल उस सदस्य को सदन में बैठने अथवा मतदान करने से रोक सकता है। हालांकि, यहाँ यह उल्लेख कर दिया जाना चाहिए कि यह छठा अवसर है जब लोकपाल विधेयक संसद में लाया गया है और हर बार इस पर सदस्यों का एकमत नहीं हो पाने के कारण बेकार हो गया। इसके पहले 1998 में जब लोकपाल विधेयक संसद में रखा गया था, तब पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल ने इस पर विरोध जताते हुए कहा था कि प्रधानमंत्री को इसके दायरे से बाहर रखा जाए। उन्होंने इस बात पर भी आपत्ति की थी इस 'साच डॉग' संस्थान के सदस्यों की नियुक्ति पूर्णकालिक आधार पर हो। इस तरह वे बिना दांत वाला लोकपाल चाहते थे। उनकी आपत्तियों के कारण क्या है? हो सकता है कि वे प्रधानमंत्री कार्यालय को ब्लैकमेलिंग व साजिश के खतरों से बचाने की जरूरत समझते हो। इसका जवाब यह होगा कि किसी भी पारदर्शी, ईमानदार व खरे प्रधानमंत्री को, जो प्रधानमंत्री कार्यालय को संभालता है और जिसे लोकसभा तथा जनता का समर्थन हासिल हो, इस तरह की साजिशें अथवा ब्लैकमेलिंग की कोई भी कोशिशें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। आई.के. गुजराल एक और कारण से प्रधानमंत्री को लोकपाल की परिधि से बाहर रखने के पक्षधर हो सकते है कि प्रधानमंत्री कार्यालय लोकपाल की परिधि में आ जाए तो शीर्ष पदों पर बैठे अफसरों के खिलाफ झूठी शिकायतों का सिलसिला शुरू जो जाएगा और कीचड़ उछालने की हरकतों को बढ़ावा मिलेगा। इसका जवाब यह है कि किसी भी ईमानदार प्रधानमंत्री या शीर्ष अफसरों को कीचड़ उछालने या बदनीयती से की गई शिकायतों से क्यो घबराना चाहिए? क्या वे हमेशा वहीं बने रहेंगे? इसके अलावा, यह भी पूछा जा सकता है कि लाल बहादुर शास्त्री या सरदार पटेल के खिलाफ झूठी शिकायत करने या कीचड़ उछालने का साहस कौन जुटाएगा। और यदि ऐसा होता भी है तो प्रस्तावित अधिनियम में सार्वजनिक पदों पर बैठे लोगों के खिलाफ झूठी शिकायतें करने वाले के खिलाफ एक से तीन साल तक की सजा व 50 हजार रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।

2016, RHIMRJ, All Rights Reserved

ISSN: 2349-7637 (Online)

संदर्भ ग्रन्थों की सूची :–

1. सच्चिदानन्द सिन्हा, लोकतंत्र की चुनौतियाँ, वाणी प्रकाशन, दरियागंज, दिल्ली, 2005, पृ. 85
2. वही, पृ. 86
3. वही, पृ. 101
4. एम.पी. शर्मा, लोक प्रशासन सिद्धान्त एवं व्यवस्था, पृ. 671
5. वही, पृ. 673

2016, RHIMRJ, All Rights Reserved

ISSN: 2349-7637 (Online)